कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 8778 दिनांक: 03/10/2023

कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर के पत्रांक 5425 दिनांक 29.09.2023 से प्राप्त प्रस्तावानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या **43 (II)** (दिनांक 16.02.2023) की अनुपालना में वायरलेस सिस्टम में सुधार एवं ट्रेप कैमरों हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8607 दिनांक 26.09.2023 द्वारा बजट मद 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, (10)–जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं परिस्थितकीय पर्यटनपूर्व), 30–उत्सव और प्रदर्शनियां में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु आवंटित बजट में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैं।

(राशि रू. लाखो में)

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	वायरलेस सिस्टम में सुधार हेतु पूर्व में आवंटित बजट	वायरलेस सिस्टम में सुधार हेतु संशोधित आवंटित बजट
CCF, Bharatpur	DCF, Dholpur	20.00	15.00
	DCF, S.Modhopur	0.00	5.00
	Total	**20.00**	**20.00**

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करायेः–

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 8779–85 दिनांक: 03/10/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, धौलपुर/सवाईमाधोपुर।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

3/10/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

D:\Users\USER\Desktop\Misc C 2023-24.docx